न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 21/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/96

अपीलाण्ट :–

1. नरसिंह शर्मा पुत्र श्री हरीराम
2. श्रवण कुमार पुत्र श्री हरीराम
3. वंशीलाल पुत्र श्री हरीराम समस्त जातिगण– सुथार, निवासीगण– गॉव बिठु तहसील रोहट जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. हिम्मतराम पुत्र श्री हरीराम के कायम मुकाम
   1/1. कमला पत्नी स्व. श्री हिम्मतराम
   1/2. पुष्पा पुत्री स्व. श्री हिम्मतराम
   1/3. स्व. नथमल पुत्र श्री हरीराम के कायम मुकाम
   1/3/1. रेखा पत्नी स्व. श्री नथमल (वयस्क)
   1/3/2. प्रवीण कुमार पुत्र स्व. श्री नथमल (वयस्क)
   1/3/3. भावना पुत्री स्व. श्री नथमल (वयस्क)
   1/3/4. पुजा पुत्री स्व. श्री नथमल (अवयस्क)
   1/3/5. राहुल पुत्र स्व. श्री नथमल (अवयस्क)
   जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रेखा पत्नी स्व. श्री नथमल समस्त जातिगण सुथार, निवासीगण– बिठु तहसील रोहट जिला पाली।

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 12.02.2025

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 905 दिनांक 11.09.1998 को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल वक्त बहस न्यायालय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित आये। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस कथन किया कि मौजा ग्राम बिठु तहसील रोहट

के खसरा संख्या क्रमशः 142, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4 व 450 रकबा क्रमशः 5.9246 हैक्टेयर, 0.1538 हैक्टेयर, 1.8211 हैक्टेयर, 4.2087 हैक्टेयर, 5.2609 हैक्टेयर व 1.4973 हैक्टेयर कुल रकबा 18.8664 आयी हुई है। अपीलाण्ट्स के पिता हरीराम का देहान्त हो जाने से वारिशान का नामन्तरकण उनके प्रथम श्रेणी के वारिश हरजी, जेठाराम, जालाराम थे। अपीलाण्ट के पिता हरीराम का देहान्त होने के बाद विवादग्रस्त भूमि उनके पुत्र व पत्नी के नाम दर्ज हुई जिसमें त्रुटिवश अपीलाण्ट्स के नाम नरसिंह शर्मा, श्रवण कुमार व वंशीलाल के स्थान पर नरसींगराम, श्रवणराम व बंशीलाल किया गया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। उक्त जैर नामान्तरकरण में त्रुटिवश अपीलाण्ट्स के नाम नरसिंह शर्मा, श्रवण कुमार व वंशीलाल के स्थान पर नरसींगराम श्रवणराम, बंशीलाल दर्ज हो गया है जबकि अपीलाण्ट्स के समस्त पहचान संबंधित दस्तावेज में सही नाम नरसिंह शर्मा, श्रवण कुमार व वंशीलाल हैं जो विधि विरूद्ध है। जिस कारण जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तकरण आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट्स द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन कि अपीलाण्ट्स का वास्तविक नाम नरसिंह शर्मा, श्रवण कुमार व वंशीलाल है जबकि जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट्स का नाम नरसिंह शर्मा, श्रवण कुमार व वंशीलाल के स्थान पर नरसींगराम, श्रवणराम व बंशीलाल दर्ज कर दिया गया। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज, रेकर्ड व साक्ष्य से अपीलाण्ट्स का उक्त तथ्य प्रथम–दृष्ट्या उचित प्रतीत होता है परन्तु फिर भी सम्पूर्ण जांच के बाद नाम के संशोधन का विषय है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, रोहट को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं विधिवत उचित जांच कर प्रकरण में अपीलाण्ट्स के समस्त दस्तावेज यथा आधार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, जन आधार आदि अनुसार अपीलाण्ट्स के नाम संशोधन संबंधित नव नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार रोहट को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **12.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)